कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ0ग0)

/ /आदेश/ /

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1707/2020 बिलासपुर, दिनांक 04 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम एवं बचाव के संदर्भ में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1705/2020 बिलासपुर दिनांक– 03/05/2020 के द्वारा, MoHFW द्वारा बिलासपुर जिला ग्रीन जोन की श्रेणी में चिन्हित होने के कारण आदेश की कंड़िका–4 में उल्लेखित, कंडिका–01 के अन्तर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बिलासपुर जिले में समस्त गतिविधियों की अनुमति प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रदान की गई है।

गृह विभाग, भारत शासन (MHA) के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 01/05/2020 के द्वारा चूंकि ग्रीन जोन में संचालित गतिविधियों में पान ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ तथा नाई, सैलून, स्पा आदि सेवा के संचालन की अनुमति है। अतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1705/2020 बिलासपुर दिनांक– 03/05/2020 में **आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका–04 (1) e के पश्चात जिले में निम्न गतिविधियों की अनुमति शामिल की जाती हैं–**

f. **पान ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ– सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, गुटखा, च्यूइंग–गम्स का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेंले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जायेगा।**

g. **नाई, सैलून, स्पा आदि सेवा के संचालक, सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्यौरा अनिवार्यतः रखा जायेगा तथा संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक समस्त उपायों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। किसी व्यक्ति पर उपायोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा।**

इसके अतिरिक्त आदेश की **कंडिका–04 (1) a में उल्लेखित– लेकिन निर्माण, उद्योग, शासकीय/निजी कार्यालय, उचित मूल्य की दुकाने, गैस एजेंसी, हास्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित समय प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 03 बजे के स्थान पर, आदेश के इस अंश में आंशिक संशोधन किया जाता है, अब उक्त सभी बाजार एवं दुकाने प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।**

उक्त आदेश के शेष अंश यथावत पठनीय एवं सभी शर्तें यथावत पालनीय होंगी।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1685/2020 बिलासपुर दिनांक– 28 अप्रैल, 2020 के अनुसार सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में, मिल्क पार्लर, मेडिकल स्टोर्स, पी.डी.एस. पेट्रोल पंप, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, को छोड़कर प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण बाजार/दुकानें पूर्ववत बंद रखी जायेंगी, अर्थात पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

(डॉ0 संजय कुमार अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner

पृ0क्र0/रीडर–जि0दण्डा/1707-A/2020 बिलासपुर, दिनांक 04 मई, 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

2– सचिव, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

3– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

4– आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

5– पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8– आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी /नगर पंचायत .... जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

12– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला– बिलासपुर........... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13– सर्व तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी ....जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14– सर्व थाना प्रभारी,...जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ, **उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत संबंधित के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करें। वे इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकार होंगे।**

15– उप संचालक जनसम्पर्क बिलासपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

16– सर्व संबंधित .... को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR & D.M.
BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner